नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा मोतीनगर के खाता संख्या 91 प्रदर्ष–2, दिनांक 05.02.2016 को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय आदेश कि प्रति प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी मौजा खाटु कला के खसरा नम्बर 991 व 1002 सम्वत् 1969–72 प्रदर्श–4, दिनांक 02.12.2020 के हकतर्कनामा कि छाया प्रति प्रदश–5 एवं मौजा खाटु कलां के नामान्तकरण संख्या 2126 की छाया प्रति प्रदश–6 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं 15 व 16 की तरफ से राजीनामा पेश होने एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 13 व 14/1 से 14/5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को राजीनाम के अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं 15 व 16 ने वादपत्र को राजीनामा के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है। तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल को परफोर्मा पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 13 व 14/1 से 14/5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। दिनांक 24.06.2022 को वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी एवं दिनांक 04.07.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का अवलोकन किया गया। उक्त दौनों प्रार्थना पत्र पर वकिल प्रतिवादी द्वारा नो ऑबजेक्सन पेश करने पर स्वीकार किये गये। घोषणा खातेदारी वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.06.2022 में आपसी सहमति के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिकी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 वादी तेजाराम के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा खाटूकलां का खेत खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से रकबा 1.6624 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 16 व 17 क्रमाशः सुनिल व सुन्दर देवी के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटुकलां के खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से रकबा 0.2749 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार तथा मौतीनगर के खते खसरा नम्बर 1223 में से रकबा 0.1313 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखी जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
3. वादी संख्या 2 बीरबल हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मोतीनगर के खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से 0.4595 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
4. वादीगण संख्या 3 से 5 क्रमशः नेमीचन्द, राकेश व प्रेमादेवी के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा मोतिनगर का खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से रकबा 0.4669 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार तथा मौजा खाटू कलां के खेत खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.4694 हैक्टेयर मे से रकबा 0.1244 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाति है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

5. वादी संख्या 4 राकेश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से 0.8612 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमाशः चुन्नीलाल, गंगादेवी, व मुन्नीदेवी के सयुक्त हक बंट काब्जा काश्त में मौजा खाटुकलां का खेत खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से रकबा 2.1510 हैक्टेयर मध्य भाग नजरी नवशानुसार तथा मौजा मौतीनगर के खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से 1.1819 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
7. प्रतिवादी संख्या 4 से 7 क्रमशः नरेश, टीकम, कंचन व मायादेवी के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से रकबा 0.8248 हैक्टेयर नजरी नवशानुसार तथा मौजा मौतीनगर के खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से रकबा 0.3939 हैक्टेयर दक्षीणी पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
8. वादीगण संख्या 1 से 5 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के सयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नम्बर 1002 रकबा रकबा 0.2671 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
9. सभी पक्षकारान के सयुक्त हक बंट में मौजा खाटु कलां का खेत खसरा नम्बर 991 रकबा 5.9084 हैक्टेयर में से 0.1341 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रास्ते के लिए रखी गई है तथा मौजा मौतीनगर के खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से 0.1235 हैक्टेयर पूर्वी तरफ से उत्तर दक्षिण लम्बाबई में नजरी नक्शानुसार पक्षकारान के संयुक्त हक बंट में रास्ते के लिए रखी जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
10. प्रतिदादीगण संख्या 8 से 14 के सयुक्त हक बंट कब्जे काश्त मौजा मोतीनगर के खेत खसरा नम्बर 1223 रकबा 5.2933 हैक्टेयर में से रकबा 2.5363 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा यथावत रखा जाता है एवं मौजा खाटूकलां का खेत खसरा नम्बर 1200 रकबा 0.4694 हैक्टेयर में से रकबा 0.3450 हैक्टेयर पश्चिमि हिस्सा रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।

माफिक राजीनामा के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

(ओमप्रकाश जमा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28.6.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश जमा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner